राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.3( )लेखा/निजभूस/2014/4283-550 दिनांक : 21/3/14

—: कार्यालय आदेश :—

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.18(I-66)निजभूस/आईडब्ल्यूएमपी/1212—1759 दिनांक 16.05.2012 के द्वारा एकीकृत जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु निविदा प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेश के अतिक्रमण में पुनः निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है :—

1. सर्वप्रथम परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा प्रत्येक जलग्रहण परियोजना हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में परियोजना में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों हेतु सामग्री का आंकलन प्रत्येक वर्ष माह दिसम्बर में कर आवश्यक सामग्री की गणना की जायेगी, ताकि माह मार्च तक निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर सामग्री की आपूर्ती माह अप्रैल से प्राप्त हो सके।

2. सामग्रीवार आवश्यक मात्रा की आपूर्ती हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप पंचायत समिति स्तर पर घोषित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जलग्रहण परियोजनावार नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित करने की कार्यवाही की जायेगी।

3. प्रत्येक परियोजना हेतु पृथक निविदा तैयार की जायेगी। पंचायत समिति स्तर पर निविदाओं को अन्तिम रूप देने एवं प्राप्त निविदाओं को खोलने हेतु निम्नानुसार 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है :—

i. पंचायत समिति स्तर पर घोषित कार्यालयाध्यक्ष
ii. परियोजना प्रबन्धक कार्यालय अथवा पंचायत समिति में कार्यरत वरिष्ठतम लेखाकर्मी
iii. परियोजना प्रबन्धक का प्रतिनिधि, जो कि सहायक अभियन्ता स्तर से नीचे का अधिकारी न हो।
iv. यदि आवश्यक हो तो विषय विशेषज्ञ के रूप में एक परामर्शी भी नामनिर्दिष्ट किया जावे(उदाहरणार्थ कृषि, पशुपालन आदि कार्यो के क्रम में) ।

4. यदि वास्तविक प्राप्त दरे जिले की निर्धारित बी.एस.आर. दरों से कम अथवा समान हो तो दरे सम्बन्धित पंचायत समिति हेतु घोषित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की जायेगी। यदि वास्तविक प्राप्त दरे जिले की निर्धारित बी.एस.आर. दरों से 10 प्रतिशत तक अधिक पाई जाती है तो बढ़ी हुई दर सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जांच पश्चात उचित पाये जाने की दशा में अनुमोदित की जायेगी। यदि वास्तविक दरे बी.एस.आर. दरों से 10 प्रतिशत अधिक एवं 25 प्रतिशत से कम पाई जाती है तो बढ़ी हुई दर अधीक्षण अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर द्वारा जांच पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर अनुमोदित की जायेगी।
5. उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुरूप दरे निर्धारित होने पर सामग्री की आपूर्ती उप समिति (जलग्रहण) द्वारा प्राप्त की जायेगी।
6. सामग्री आपूर्ती के उपरान्त ग्राम पंचायत स्तर पर निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु गठित जलग्रहण स्थायी समिति की लिखित संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच, उप समिति (जलग्रहण) के सचिव एवं पी.आई.ए. कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ/सहायक अभियंता के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा सम्बन्धित फर्म को अकाउन्ट पेयी चैक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

7. सार्वजनिक/राजकीय भूमि पर संपादित किये जाने वाले कार्यों हेतु सामग्री का क्रय उपर्युक्त प्रकिया अनुसार किया जायेगा। निजी भूमि पर सम्पादित कार्यों हेतु सामग्री का क्रय स्वय लाभार्थी द्वारा अनुमोदित निविदा दरों की सीमा में किसी भी पंजीकृत आपूर्तीकर्ता से क्रय किया जा सकता है एवं इसका भुगतान ग्राम पंचायत स्तर पर गठित जलग्रहण स्थायी समिति की संस्तुति के बाद किया जा सकेगा।
8. परियोजना प्रबन्धक स्तर पर निविदाओं पर निर्णय हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगा :–

अध्यक्ष

i) परियोजना प्रबन्धक
ii) अधिशाषी अभियन्ता
(परियोजना प्रबन्धक के अधीन पंचायत समिति में से किसी भी एक पं.स. का)
iii) परियोजना प्रबन्धक कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठतम लेखाकर्मी
iv) परियोजना प्रबन्धक के अधीन कार्यरत कोई भी एक परियोजना कियान्वयन एजेन्सी (सहायक अभियन्ता)
v) यदि आवश्यक हो तो विषय विशेषज्ञ के रूप में एक परामर्शी भी नामनिर्दिष्ट किया जावे (उदाहरणार्थ कृषि, पशुपालन आदि कार्यो के कम में) ।

उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे। उक्त आदेश प्रशासनिक विभाग की आई.डी. संख्या 809 दिनांक 11.3.2014 के अध्यधीन है।

21.3.14
निदेशक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

क्रमांक : एफ.3( )लेखा/निजभूस/2014/4283-550 दिनांक 21/3/14,

प्रतिलिपि :–
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी), जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, निदेशालय (समस्त)
7. अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर (समस्त)
8. अधिशाषी अभियन्ता, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण (समस्त)
9. लेखाधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
10. सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार, कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर (समस्त)
11. पी.आई.ए. एवं सहायक अभियन्ता जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर (समस्त)
12. ए.सी.पी., मुख्यालय, जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कृपया उक्त आदेश विभागीय वेब साइट पर अपलोड करावें।

अतिरिक्त निदेशक
(आईडब्ल्यूएमपी)